

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.1(96)राज-6/2016/37

जयपुर, दिनांक: 8/12/16

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का नायब तहसीलदारों को दिनांक 13.12.2016 से प्रारम्भ होने वाली 'मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना' के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना 'मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना' की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी. एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. समस्त नगर विकास न्यास राजस्थान।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 8/12/16 में प्रकाशित हेतु।
13. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
14. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
15. रक्षित पत्रावली।
16. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।

संयुक्त शासन सचिव